# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी-- श्री नरेश कुमार मालव
आर.ए.एस.

| मिसल संख्याः | तारीख दायरा | तारीख निर्णय |
|---|---|---|
| 255 / प्रा.पत्र रेफ. / 2012 | 20.12.2012 | 21.05.2018 |

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार हिण्डोली, तहसील हिण्डोली जिला बून्दी (राज0) – प्रार्थी

– बनाम –

1. कालू, बजरंगा, रामलाल पिसरान रामचन्द्र मु. रामी बेवा देब्या पिसरान मन्ना जाति बैरवा निवासी दांता तहसील हिण्डोली।
2. बड़ोदा राजस्थान ग्रामीण बैंक, सथूर।
3. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा बून्दी।

– अप्रार्थीगण

रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 (2)
राजस्थान भू--राजस्व अधिनियम--1956

उपस्थित :--

प्रार्थी की ओर से – पेरोकार सरकार।
अप्रार्थीगण की ओर से – श्री अभयदेव शर्मा, अभिभाषक।

## --: निर्णय :--

यह प्रार्थना पत्र तहसीलदार, हिण्डोली ने अन्तर्गत धारा 82 (2) राजस्थान भू--राजस्व अधिनियम 1956 के तहत दिनांक 20.12.2012 को पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बड़ोदिया तहसील हिण्डोली, जिला बून्दी में अप्रार्थीगण की खातेदारी में खसरा संख्या 1331 रकबा 04 बीघा 15 बिस्वा राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2067--2070 के अनुसार अंकित है। उक्त भूमि जब राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ सम्वत् 2013--16 जमाबन्दी में राजस्व रिकॉर्ड किस्म पेटा तालाब दर्ज थी तथा इस भूमि के पुराना खसरा संख्या 975मि / 1 राजस्व रिकॉर्ड दर्ज थी। उक्त भूमि पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के प्रावधानों के अनुसार खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते। माननीय उच्च न्यायालय ने डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या--1536 / 2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार निर्णय दिनांक 02.08.2004 में ऐसी भूमियों की पूर्व स्थिति बहाल किये जाने के आदेश है।

यह कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में जनहित याचिका संख्या 1536 / 2003 में निर्णय दिनांक 02.08.2004 अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान सरकार में वांछित निर्णय दिनांक 02.08.2004 की पालना में

यह रेफरेन्स प्रस्तुत किया है तथा निवेदन किया है कि रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के समस्त इन्द्राज निरस्त करते हुये पूर्व की भांति किस्म पेटा तालाब राजकीय भूमि दर्ज की जावे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थीगण व उसके अभिभाषक ने दिनांक 23.04.2014 को जवाब पेश किया।

बहस पेरोकार सरकार व अभिभाषक अप्रार्थीगण सुनी गई।

पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क पेश किये कि प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि सम्वत् 2013--2016 जब राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ, राजस्व रिकॉर्ड में पेटा तालाब दर्ज थी। जो अप्रार्थीगण के नाम भूमि नियम विरूद्व खातेदारी दर्ज की गई है। जो नियम विरूद्व दर्ज होने से निरस्तनीय है। राजस्थान भू--राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 88 के अनुसार समस्त नदी, नाले, झीले, तालाब, पोखर की भूमि राज्य सरकार के स्वामित्व की है। जिन पर धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रतिबंध लागू होता है। ऐसी भूमि में खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते। यदि खातेदारी अधिकार दे दिये गये हो तो निरस्तनीय है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर श्रीमान् निबन्धक महोदय, राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर को भिजवाया जावे।

अभिभाषक अप्रार्थीगण ने अपने प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यो को दोहराते हुये तर्क पेश किये कि प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि अप्रार्थीगण के स्वामित्व, खातेदारी एवं आधिपत्य की है। उक्त भूमि पर अप्रार्थीगण पूर्वजो के जीवनकाल से निर्वाद रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा है और काश्तकारी कर रहे है। सरकार द्वारा नियमानुसार विधिक प्रक्रिया अपनाते हुये अप्रार्थीगण के पूर्वजो को आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन करके कब्जा दिया गया है। आवंटन की शर्तो की पालना करने पश्चात गैर खातेदारी एवं खातेदारी दी गई है। उक्त भूमि में मौके पर कोई तालाब, पेटा तालाब, तलाई आदि नहीं है। मौके पर अप्रार्थीगण कृषि कार्य कर रहे है तथा भूमि कृषि कार्य के उपयोग में आ रही है। उक्त भूमि पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व राजस्थान भू--राजस्व अधिनियम 1956 के प्रभाव में आने से पूर्व ही उक्त भूमि पर अप्रार्थीगण के पूर्वजो का कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा वर्तमान में भी काश्त हो रही है। उक्त खातेदारी भूमि पर अप्रार्थीगण ने सिंचाई के साधन एवं कृषि के साधन के लिये बैंक से ऋण लेकर बोरिंग, कुआं आदि लगाकर विद्युत कनेक्शन लेकर काश्त की जा रही है। अप्रार्थीगण के परिवार का जीवन यापन मात्र यही साधन है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने पत्रावली व उसके साथ संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन किया। बहस पेरोकार सरकार व अप्रार्थीगण अभिभाषक पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2067--70 में अप्रार्थीगण के खसरा संख्या 1331 रकबा 04 बीघा 15 बिस्वा खातेदारी में दर्ज है। मुताबिक मिलान क्षेत्रफल उक्त भूमि के पुराने खसरा संख्या

975मि/1 राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थे। मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2013–16 के अनुसार उक्त भूमि की किस्म पेटा तालाब दर्ज थी। उक्त विवादित भूमि संलग्न प्रार्थना पत्र के साथ पटवारी रिपोर्ट व राजस्व रिकॉर्ड की नकलो के अनुसार विवादित भूमि वर्तमान में जमाबन्दी सम्वत् 2067–2070 में अप्रार्थी खातेदार है तथा नामान्तरकरण संख्या–30 से गैरखातेदारी से खातेदारी दर्ज हुई तथा नामा. सं. 867 व 1188 से बैंक के नाम रहन दर्ज हुई। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सी. रिट याचिका सं.–1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार निर्णय दिनांक 02.08.2004 तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा एस.बी. सिविल रिट याचिका सं.–11153/2011 सुओमोटो बनाम सरकार में निर्णय दिनांक 29.05.2012 के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज नदी नाला आदि किस्म की भूमियों का आवंटन नही किया जा सकता। ऐसी भूमियों पर खातेदारी दे दी गई हो तो उसे निरस्त कर पूर्व स्थिति बहाल किये जाने के निर्देश है। प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि पूर्व में किस्म पेटा तालाब राजकीय भूमि दर्ज थी। धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत भी उक्त भूमि का आवंटन नहीं किया जा सकता ना ही खातेदारी अधिकार दिये जा सकते है। अतः रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है तथा वर्तमान में अंकित अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नं. 1331 रकबा 04 बीघा 15 बिस्वा ग्राम बड़ोदिया का आवंटन व खातेदारी निरस्त कर पूर्व स्थिति अनुसार किस्म पेटा तालाब राजकीय भूमि दर्ज करने के लिये प्रकरण राजस्व मण्डल, राजस्थान–अजमेर को रेफरेन्स किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील श्रीमान् निबन्धक महोदय, राजस्व मण्डल राजस्थान–अजमेर को भिजवाई जाती है।

आदेश आज दिनांक 21.05.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

21/5/18

(नरेश कुमार मालव R.A.S.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
बून्दी (राज0)